

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-82 से 110 दिनांक-30-06-16 के द्वारा विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित प्रभारी प्राचार्यों को कार्यहित में बिहार कोषागार संहिता के नियम-148 (पुराना) एवं नियम-84 (नया) के प्रावधानों के तहत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं।

- 2- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- 3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(संजय कुमार सिंह)  
निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था0 (4) रा0-91/2012-...../पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था0 (4) रा0-91/2012-...../पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी संबंधित प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार/निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था0 (4) रा0-91/2012-.....<sup>4284</sup>/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित साथ ही निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

  
निदेशक,

नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।  
25.11.16